संख्या-72/2015/2232/26-3-2015-रिट(32)/2014

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,

समाज कल्याण

उ0प्र0 शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2015

विषयः रिट याचिका संख्या-3903 (एम0बी0)/2014 अनुपम वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-29.05.2015 एवं दिनांक-13.07.2015 के अनुपालन में याची छात्र को अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कामर्शियल पायलेट लाईसेंस पाठ्यक्रम हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त रिट याचिका संख्या-3903(एम0बी0)/2014 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-29.05.2015/13.07.2015 के क्रम में निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1259/स0क0/शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-15.07.2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कामर्शियल पाइलेट लाइसेंस प्रशिक्षण कोर्स हेतु याची छात्र श्री अनुपम वर्मा को शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रूपया-38.50/- लाख स्वीकृत करते हुये रूपया-23.15 लाख के समायोजन के पश्चात अवशेष धनराशि रूपया-15.35 लाख (रूपया पन्द्रह लाख पैतिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति निर्गत कर आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त धनराशि का भुगतान करते समय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन/नियमावली में उल्लिखित शर्तो के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-72/2015/2232(1) /26-3-2015 तदनिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।